

न्यायालय अति.जिला कलेक्टर, टोंक

(मुरारी लाल शर्मा, आर०ए०एस० द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या

02 / 2021

प्रविष्टि दिनांक

22.01.2021

1-श्योजी पुत्र नन्दा जाति जाट निवासी नयागांव ब्राह्मणों का वास तहसील टोडारायसिंह जिला टोंक

2-किशन लाल पुत्र नन्दा जाति जाट निवासी नयागांव ब्राह्मणों का वास तहसील टोडारायसिंह जिला टोंक

-अपीलान्त

बनाम

तहसीलदार टोडारायसिंह जिला-टोंक राजस्थान

-रेस्पोंडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 रा०ले०रे०एक्ट विरुद्ध निर्णय न्यायालय तहसीलदार टोडारायसिंह

दिनांक 05.10.2020 धारा 91(3) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति : (1) श्री मनीष कासलीवाल, अभिभाषक अपीलान्त

(2) श्री जुगनु शर्मा, राजकीय अभिभाषक रेस्पोंडेण्ट

निर्णय

दिनांक 25.03.2021

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार टोडारायसिंह ने अपने आदेश दिनांक 05.10.2020 के द्वारा अपीलान्त को भूमि खसरा नम्बर 356/5407 रकबा 2.30 है० किस्म चरागाह वाके ग्राम नयागांव ब्राह्मणों का वास पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण मानकर शारित कायम कर भूमि रो वेदखल कर एक माह की रिदिल कारावास की सजा से दण्डित किया है। अपीलान्त ने तहसीलदार टोडारायसिंह के उक्त आदेश से व्यथित होकर आदेश को खिलाफ कानून बताते हुए निरस्त किये जाने हेतु अपील प्रस्तुत की है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एवं तलबी रेस्पोंडेण्ट जरिए सम्मन की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रकरण में अभिभाषक अपीलान्त एवं राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्त ने दोराने बहस अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलांत को सुनवाई का अवसर नहीं दिया है तथा अपीलांत की प्रोपर तागिल नहीं हुई है। अपीलांत को साक्ष्य-सबूत प्रस्तुत करने का भी अवसर नहीं दिया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया गया वह प्रिन्टेड फार्म पर है। खाली स्थान की पूर्ति कर निर्णय पारित किया गया है। पटवारी हल्का ने अपनी रिपोर्ट में कब्जा डोल अंकित किया है। अपीलांत का किसी भी प्रकार से उक्त भूमि पर कब्जा नहीं है। डोल प्राकृतिक रूप से मौके पर स्थित है। अपीलांत द्वारा मौके पर कोई काश्त नहीं की है। पूर्व रिपोर्ट में भी कब्जा डोल अंकित है अर्थात् कब्जा



नहीं हटाया है। वैसे भी जो प्राकृतिक रूप से डोल बनी हुई है, उसमें भूमि का कटाव नहीं होता है एवं पानी भी रुकता है जो चरागाह के उपजाऊ पत्र के लिये लाभदायक है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में अपीलान्ट को गत वर्ष कौनसी पत्रावली में वेदखल किया गया का उल्लेख नहीं है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक की बहस का जवाब देते हुए राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि सम्मन पर अपीलान्ट की विधिवत तामिल हुई है। अतिक्रमी अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह भी ज्ञात होता है कि अपीलान्ट ने उक्त आराजी खसरा नम्बर पर इससे पूर्व में भी अतिक्रमण किया था। अतिक्रमी चरागाह भूमि पर बार बार अतिक्रमण करने का आदी है, उपलब्ध दस्तावेजात से अपीलान्ट का पश्चात्वर्ती अतिक्रमी होना सिद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही एवं उचित है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज योग्य है।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट एवं राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय की अपीलान्तीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन करने से विदित होता है कि अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पश्चात्वर्ती अतिक्रमण का नोटिस दिया गया है। अपीलान्ट द्वारा सार्वजनिक उपयोग की राजकीय भूमि खसरा नम्बर 356/5407 रकबा 2.30 है 0 किस्म चरागाह बाके ग्राम नयागांव ब्राहमणों का बास तहसील टोडारायसिंह पर कब्जा डोल कर अतिक्रमण किया है।

अभिभाषक अपीलान्ट का तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही एकपक्षीय आदेश पारित कर निर्णय पारित किया गया है। अपीलान्ट की प्रोपर तामिल भी नहीं हुई है। अपीलान्ट द्वारा कब्जा छोड़ने बाबत शपथ पत्र प्रस्तुत किया है।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने से जाहिर होता है कि पटवारी हल्का द्वारा अपीलान्ट के विरुद्ध धारा 91 की रिपोर्ट कब्जा डोल बाबत की गई है, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में अंकित किया है कि "वर्तौर शारित आरोपित की जाती है तथा उपरोक्त खसरा नम्बरान व रकबे से वेदखली के आदेश दिये जाते हैं तथा उक्त रकबे में खड़ी फसल को राज हित में जब्त सरकार करने, बरसूली, खड़ी फसल को नीलागी वारो स्वीकृती एक सप्ताह में पेश करने हेतु आदेश भू-अभिलेख निरीक्षक एवं पटवारी हल्का को दिये जाते हैं"। अपीलान्ट को जारी नोटिस की पुस्त पर नोटिस लेने से मना किया अंकित है, परन्तु तामिल कुनिदा के हस्ताक्षर नहीं है। पटवारी द्वारा कब्जा डोल की रिपोर्ट पेश की है, परन्तु न्यायालय द्वारा फसल नीलागी के आदेश पारित किये गये हैं। अतः उक्त विवेचन के मध्यमजर रखते हुए तहसीलदार टोडारायसिंह का निर्णय दिनांक 05.10.2020 को अपास्त कर अपील अपीलान्ट को रिमाण्ड किया जाना उचित प्रतीत होता है।

फलतः अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर तहसीलदार टोडारायसिंह का निर्णय दिनांक 05.10.2020 निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार टोडारायसिंह को इस आदेश से रिमाण्ड (Remand) प्रति प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि अपीलान्ट को समुचित



सुनवाई/साक्ष्य-सबूत पेश करने का अवसर प्रदान कर पुनः विधिवत रूप से निर्णय पारित करें।
प्रार्थना पत्र स्थगन अस्वीकार किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।
निर्णय आज दिनांक 25.03.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



25.3.21
अति. जिला न्यायालय
अइसल